इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 फरवरी 2014—माघ 28, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2014

क्र. एफ बी-1-07-2014-2-पांच. (13).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 54 के साथ पठित धारा 62 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आबकारी (बिना वारंट के तलाशी की शक्ति का प्रयोग) नियम, 2014 है.

(2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915);

(ख) इन नियमों में प्रयुक्त किए गए किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जैसे कि अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं.

3. **आबकारी अधिकारी द्वारा बिना किसी वारण्ट के तलाशी लेने की शक्ति का प्रयोग.**—अधिनियम की धारा 54 के अधीन सशक्त प्रत्येक अधिकारी, वारण्ट के बिना किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए उस स्थान में प्रवेश करने के पूर्व प्ररूप-क में अपने विश्वास करने और समाधान कर लेने के उन आधारों को अभिलिखित करेगा कि अपराधी द्वारा धारा 34, 35, 36, 36क, 36ख, 36ग, 37, 38, 38क, 39 अथवा 40 के अधीन अपराध किया गया है, किया जा रहा है अथवा किया जाना संभावित है. वह तलाशी के पूर्व इस दस्तावेज की एक प्रति उस आरोपी को, जिसकी के अभिरक्षा में स्थान है, सौंपेगा. यह दस्तावेज केस डायरी का भाग होगा.

4. **कलक्टर को रिपोर्ट.**—प्रत्येक अधिकारी, अधिनियम की धारा 54 के अधीन की गई ऐसी तलाशी के संबंध में परिणाम की एक विस्तृत रिपोर्ट प्ररूप-ख में कलक्टर को यथा संभव शीघ्र प्रस्तुत करेगा.

5. **रिपोर्ट की मासिक प्रस्तुति.**—प्रत्येक अधिकारी ऐसी तलाशियों तथा उसके परिणामों के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट प्ररूप-ग में कलक्टर को प्रस्तुत करेगा.

6. **व्यावृत्ति.**—अधिनियम की धारा 54 के अधीन की गई कोई कार्रवाई जहां तक कि वह इन नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं है, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी.

प्ररूप—क
(नियम 3 देखिए)

बिना वारण्ट के तलाशी के बारे में उद्घोषणा

1. प्राप्त की गई सूचना के ब्यौरे

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

2. उपरोक्त सूचना के आधार पर मैं .... (नाम एवं पदनाम) यह विश्वास करता हूं तथा मेरा यह समाधान हो गया है कि .... स्थान (स्थान, घर, वाहन आदि का वर्णन करें) मदिरा/मादक द्रव्य ....(मदिर/मादक द्रव्य* के नाम का उल्लेख करें) के विनिर्माण/परिवहन/आयात/निर्यात/संग्रहण/कब्जे में रखने के लिए स्थान के रूप में उपयोग किया गया है/किया जा रहा है. अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि अधिनियम की धारा 34/35/36/36क/36ख/36ग/37/38/38-क/39/40* के अधीन अपराध किया गया है, किया जा रहा है अथवा किया जाना संभावित है और तलाशी वारण्ट, अपराधी को निकल भागने का अथवा अपराध के संबंध में साक्ष्य छिपाने का अवसर दिए बिना, किसी मजिस्ट्रेट से अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है. मैं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 54 के अधीन ऊपर उल्लिखित स्थान की तलाशी की कार्रवाई करने जा रहा हूं.

समय . . . .
तारीख . . . . .सन् 2014
स्थान . . . .

जो लागू न हो उसे काट दें.

(हस्ताक्षर) ....
(नाम) ....
(पदनाम) ....

प्ररूप—ख
(नियम 4 देखिए)

अधिनियम की धारा 54 के अधीन तलाशी का परिणाम

प्रति,
कलक्टर,
. . . .

निवेदन है कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 54 के अधीन मैंने .... स्थान (स्थान, घर, वाहन आदि के ब्यौरे) की तलाशी ली. इस तलाशी के परिणाम निम्नानुसार हैं:—

1. **जब्ती के ब्यौरे**—

(क) (एक) आरोपी का नाम (स्थान का अधिभोगी) . . . .

(दो) आबकारी अधिनियम की धारा जिसके कि अधीन अधिकथित अपराध किया गया है . . . .

(तीन) जब्ती के ब्यौरे (मादक द्रव्य, वाहन आदि)

(चार) प्रकरण का संक्षेप . . . .
. . . .
. . . .

(ख) कोई अनधिकृत मदिरा या मादक द्रव्य जब्त नहीं किया गया और स्थान अधिभोगी को सौंपा गया.

2. मैंने अपना विश्वास एवं समाधान होने के आधार अभिलिखित किए थे कि धारा 34/35/36/36क/36ख/36ग/37/38क/39/40* के अधीन अपराध किया गया था, किया जा रहा था अथवा किया जाना संभावित था तथा तलाशी के पूर्व प्ररूप—क की एक प्रति आरोपी/स्थान के अधिभोगी को दी गई थी. प्ररूप—क की एक प्रति यहां इसके साथ संलग्न है.

समय . . . .
तारीख . . . . सन् 2014
स्थान . . . .

(हस्ताक्षर) . . . .
(नाम) . . . .
(पदनाम) . . . .

*जो लागू न हो उसे काट दें.

प्ररूप—ग
(नियम 5 देखिए)
तलाशियों की मासिक रिपोर्ट तथा उसके परिणाम

महीने का नाम . . . .

अनु क्रमांक (1)	तलाशी की तारीख (2)	आरोपी/स्थान के अधिभोगी का नाम (3)	तलाशी लिए गए स्थान के ब्यौरे (4)	तलाशी सफल रही या खाली तलाशी (5)	जब्ती के ब्यौरे (6)	मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा (7)	वह तारीख जिसको कि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया (8)	निर्णय अथवा न्यायालय में प्रकरण की वर्तमान स्थिति (9)

समय . . . .
तारीख . . . . .सन् 2014
स्थान . . . .

(हस्ताक्षर) . . . .
(नाम) . . . .
(पदनाम) . . . .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2014

क्र. बी-1-07-2014-2-पांच (13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-07-2014-2-पांच (13), दिनांक 17 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 17th February 2014

No. F-B-1-07-2014-2-V (13).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (a) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of Section 62 read with Section 54 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the Government of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Excise (Exercise on powers to search without a warrant) Rules, 2014.

(2) They shall come in to force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915);

(b) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Exercise of power to search without a warrant by Excise Officers.**—Every Officer empowered under section 54 of the Act for entering and searching any place without search warrant, shall before entering the place, record the grounds of his belief and satisfaction in Form-A that the offence under Section 34, 35, 36 36A, 36B, 36C, 37, 38, 38A, 39 or 40 has been, is being or is likely to be committed by the accused. He shall hand over a copy of this document to the accused, in whose custody the place is, before the search. This document shall be the part of his case diary.

4. **Report to the Collector.**—Every Officer shall submit a detailed report in Form-B of the result regarding such search carried out under section 54 of the Act, to the Collector as soon as possible.

5. **Monthly submission of Report**—Every Officer shall submit a monthly report in From-C to the Collector about such searches and the results thereof.

6. **Savings.**—Any action taken under Section 54 of the Act shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been taken under the corresponding provisions of these rules.

FORM—A
(See rule 3)

PROCLAMATION ABOUT SEARCH WITHOUT WARRANT

1. Details of information received

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

2. On the basis of above information I, ...(name and designation) believe and satsify that . . . . .place (describe Place, house, vehicle, etc) is used/being used as

a place for manufacturing/transporting/importing/exporting/collecting/possessing liquor/intoxicant* . . . .(mention liquor/intoxicant's name). After satisfying myself that the offence under section 34/35/36/36A/36B.36C/37/38/38A/39/40* of the Act has been is being or is likely to be committed* shortly, and as a search warrant from a Magistrate can not be obtanined without affording the offender an opportunity of escape or of concealing evidence of the offence, I am proceeding to carry out a search operation of the place mentioned above under section 54 of the Madhya Prdesh Excise Act.

Time . . . .
Dated . . . . .day of . . . . . . .2014.
Place . . . .

(Signature) . . . .
(Name) . . . .
(Designation) . . . .

* Strike out which is not applicable.

FORM—B

(See rule 4)

RESULT OF SEARCH UNDER SECTION 54 OF THE ACT

To,

The Collector
. . . .

I beg to state that under section 54 of Madhya Pradesh Excise Act 1915, I have searched . . . . .place details of Place, House, Vehicle etc.) The result of this search is given below :—

1. **Details of seizure—**

*(a) (i) Name of accused (occupier of the Place) . . . .

(ii) The section of Excise Act under which the offence alleged to be committed . . . .
. . . .

(iii) Details of seizure (intoxicant, vehicle etc.) . . . .
. . . .

(iv) Brief of the case . . . .
. . . .

*(b) No unauthorized liquor or intaxicant has been seized and the place has been handed over to the occupier.

2. I had recorded the grounds of my belief and satisfaction that the offence under section 34/35/36/36A/36B/36C/ 37/38/38A/39/40* had been, was being or was likely tobe committed* and a copy of From—A had been given to the accused/occupier of the place before the search. A copy of From—A is attached herewith.

Time . . . .
Dated . . . . .day of . . . . . . .2014.
Place . . . .

(Signature) . . . .
(Name) . . . .
(Designation) . . . .

* Strike out which is not applicable.

FORM—C

(See rule 5)

MONTHLY REPORT OF SEARCHES AND RESULTS THEREOF

Name of Month . . . .

S.No.	Date of search	Name of accused/ occupier of the Place	Details of Place searched	Search successful of blank search	Details of seizures	Section of Madhya Pradesh Excise Act	Date on which challan put up in the Court	Decision or current position of the case in the Court
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Place . . . .
Date . . . .

(Signature) . . . .
(Name) . . . .
(Designation) . . . .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.